

"शैक्षणिक शाखा में छात्राओं के लिये किये जाने वाले कार्य"

क्र०	नाम एवं संबंधित का मोबाईल नं०	कार्य जो संबंधित द्वारा किये जाते हैं।
01	श्री अनिल शर्मा, (9907282282)	<ul style="list-style-type: none"> • राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से प्राप्त छात्राओं की अंकसूची एवं डिप्लोमा का वितरण कार्य। • छात्राओं के सेमेस्टर परीक्षा के मैनुअल फार्मों से संबंधित कार्य। • राजीव गाँधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल से प्राप्त अंकसूचियों/डिप्लोमा में किसी छात्रा के नाम/सरनेम/अंकों आदि की त्रुटियों के संबंध में छात्राओं द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर कार्यवाही करना। • महाविद्यालय में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले वार्षिकोत्सव समारोह में प्रदत्त किये जाने वाले रावतानी अवार्ड से संबंधित कार्य।
02	श्री संजय थामस (9926436472)	<ul style="list-style-type: none"> • छात्राओं की महाविद्यालय शिक्षण/छात्रावास शुल्क से संबंधित कार्य। • छात्राओं को महाविद्यालय का पहचान पत्र जारी करना। • छात्राओं की माँग अनुसार फीस स्ट्रक्चर जारी करना। • छात्राओं को उनकी माँग अनुसार एवं डिप्लोमा पूर्ण होने पर संस्था का स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करना। • छात्राओं की माँग अनुसार उन्हें बोनाफाईड प्रमाण-पत्र जारी करना। • छात्राओं की माँग अनुसार उन्हें स्टूडेंट कन्सेशन, एवं शैक्षिक यात्रा हेतु कन्सेशन जारी करना।

- G. छात्राएँ सेमेस्टर परीक्षाओं के पूर्व होने वाली फार्म फारवर्ड की प्रक्रिया को भी निर्धारित समय में ही पूर्ण करवायें। ऐसी छात्राएँ जो समय-सीमा में फार्म फारवर्ड नहीं करवाती हैं तो उन्हें संबंधित सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा जिसकी जवाबदारी उनकी स्वयं की होगी।
- H. ऐसी वे छात्राएँ जो महाविद्यालय एवं छात्रावास शुल्क के चालान शैक्षणिक शाखा से बैंक में जमा करने हेतु प्राप्त तो करती हैं परन्तु उसे उसी दिनांक को जमा न करते हुए कई दिनों पश्चात जमा करती हैं। एवं उस जमा चालान की छायाप्रति भी शैक्षणिक शाखा में जमा नहीं करती हैं। इस हेतु उन्हें अनेकों बार मौखिक रूप से बताया जाता है। ऐसी छात्राओं के आगामी सेमेस्टर परीक्षा के लिए फार्म फारवर्ड/अग्रेषित नहीं किया जावेगा।
- I. ऐसी वे छात्राएँ जो डिप्लोमा पूर्ण होने के पश्चात महाविद्यालय से अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज (अंकसूची, स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा) को प्राप्त करने आने में असमर्थ रहती हैं। ऐसी स्थिति में यदि वह अपने किसी रिश्तेदार या सहेली को यह दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिये नियुक्त करती हैं तो आपके द्वारा प्राचार्य महोदय को प्रेषित आवेदन पत्र जिसमें उसके नाम का सहमति पत्र, फोटोयुक्त पहचान पत्र एवं उसके हस्ताक्षर आपके द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य होने पर ही उसे उपरोक्त दस्तावेज प्रदान किये जावेंगे।
- J. ऐसी वह छात्राएँ जो सेमेस्टर परीक्षाओं की अपनी अंकसूचियाँ अनेकों बार मौखिक रूप से स्मरण करवाने पर भी प्राप्त नहीं करती हैं वे सभी छात्राएँ समय पर अपनी अंकसूचियाँ शैक्षणिक शाखा से प्राप्त करें। अन्यथा आगामी परीक्षा हेतु उनके फार्म फारवर्ड नहीं किया जावेगा। जिसकी जवाबदारी स्वयं छात्रा की होगी।